पत्रांक :–1/यो.1–25/2016 (उ0शि0) 42/बजट

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 28/01/2021

विषयः– राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत खिजरी विधानसभाक्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/– (पन्द्रह करोड छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2020–21 में द्वितीय किस्त के रूप में रू0 6,00,00,000/– (छः करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

CeD.e./F.O
D.O.
5.2.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 14/बजट दिनांक 19.01.2021 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत खिजरी विधानसभाक्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/– (पन्द्रह करोड छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2020–21 में द्वितीय किस्त के रूप में रू0 6,00,00,000/– (छः करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु निम्नवत् आवंटन प्रदान की जाती है–

क0	विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	पूर्व में विमुक्त राशि	वर्ष 20–21 में विमुक्त की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राँची विश्वविद्यालय	डिग्री कॉलेज, खिजरी	15,76,99,600/–	12,70,50,000/–	3,00,00,000/–	6,00,00,000/–

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–BA– नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान , विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड–21S220203796BA0678) (स्कीम कोड–1633) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. राशि के व्यय में मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

K-185
11/2/21

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 14/बजट दिनांक 19.01.2021 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर श्री बिन्दु माधव प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–1/यो.1–25/2016 (उ0शि0) 42/वमट/रॉची, दिनांक– 28/01/2021

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–1/यो.1–25/2016 (उ0शि0) 42/वमट/रॉची, दिनांक– 28/01/2021

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक,झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा श्री प्रियरंजन, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

[redacted]

JTC Form-4

[See Rule 45]

(Obverse)

Challan No.: ..... **Treasury.:** **Ranchi**

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

BT.NO - 57
dt 25.3.21

Challan of cash into the State Bank of India at .....

To be filled by the Remitter				To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered		Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name	.....	DR.MUKUND CHANDRA MEHTA (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	CONSTRUCTION WORK FOR DEGREE COLLEGE FOR KHIJRI VI	60000000	844800120150102 02-Dearness Allowance	Mukund Chandra Mehta 24.3.2021 Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in. Registrar Ranchi University, Ranchi
Sign	.....					
*(in words)Rupees Six Crore/- Only				*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment ..... **Date** .....

Treasurer **Accountant** 25/3/21 **Treasury Officer**

25.03.2021 **Agent or Manager**

Note 1:In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2:Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3:In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

पत्रांक :–3/यो.1–10/2016 (उ0शि0) 44/कोष

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 28/01/2021

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी0 एस0 कॉलेज, लोहरदगा एवं सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा में निर्माणाधीन बहुद्देशीय परीक्षा भवनों के निर्माण हेतु रू0 19,48,90,000/– (उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू0 12,00,00,000/– (बारह करोड़रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 16/बजट दिनांक 19.01.2021 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020–21 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी0 एस0 कॉलेज, लोहरदगा एवं सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा में निर्माणाधीन बहुद्देशीय परीक्षा भवनों के निर्माण हेतु रू0 19,48,90,000/– (उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू0 12,00,00,000/– (बारह करोड़रूपये) मात्र के भुगतान हेतु निम्नवत् आवंटन प्रदान की जाती है–

क0	स्थान का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	अबतक विमुक्त की गयी राशि	वर्ष 20–21 में विमुक्त की जाने वाली राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बी0 एस0 कॉलेज लोहरदगा	9,74,45,000/–	9,56,16,000/–	3,00,00,000/–	6,00,00,000/–	56,16,000/–
2	सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा	9,74,45,000/–	10,02,70,000/–	3,00,00,000/–	6,00,00,000/–	1,02,70,000/–

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य स्कीम बजट के " मुख्य शीर्ष–2202, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड–21S220203796B50678 (स्कीम कोड–1628) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी0 एल0 खाता में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. राशि के व्यय में मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 16/बजट दिनांक 19.01.2021 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर श्री बिन्दु माधव प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/यो.1–10/2016 (उ0शि0) 44/बजट/रॉची, दिनांक– 28/01/2021

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/यो.1–10/2016 (उ0शि0) 44/बजट/रॉची, दिनांक– 28/01/2021

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक,झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा श्री प्रियरंजन, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

JTC Form-4

[See Rule 45]

(Obverse)

Challan No.: ..... **Treasury.:** **Ranchi**

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

BT No - 56 dt - 25/3/21

Challan of cash into the State Bank of India at .....

To be filled by the Remitter				To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered		**Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid**	**Full particulars of the remittance and of Authority (if any)**	**Amounts**	**Head of Account**	**Order of the Bank**
Name	.....	DR.MUKUND CHANDRA MEHTA (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	CONSTRUCTION WORK OF MULTIPURPOSE EXAMINATION HALL	60000000	844800120150102 02-Dearness Allowance	Mukund Chandra Mehta 24.3.2021 Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in. Registrar Ranchi University, Ranchi
Sign	.....					
***(in words)Rupees** Six Crore/- Only				*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment 25/3/21 ..... **Date** .....

Treasurer **Accountant** 25.03.2021 **Treasury Officer**

Agent or Manager

Note 1:In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2:Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3:In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

JTC Form-4

[See Rule 45]

(Obverse)

Challan No.: ..... **Treasury.:** **Ranchi**

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

Challan of cash into the State Bank of India at .....

To be filled by the Remitter				To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered		**Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid**	**Full particulars of the remittance and of Authority (if any)**	**Amounts**	**Head of Account**	**Order of the Bank**
Name	.....	DR.MUKUND CHANDRA MEHTA (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	CONSTRUCTION WORK OF SIMDEGA COLLEGE SIMDEGA	60000000	844800120150102 02-Dearness Allowance	Signature and full designation of the officer ~~Order the~~ money to be paid in.
Sign	.....					
*(in words)Rupees Six Crore/- Only				*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Registrar Ranchi University, Ranchi

Received Payment ..... **Date** .....

Treasurer **Accountant** **Treasury Officer**

Agent or Manager

Note 1:In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2:Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3:In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

पत्रांक :– 1 / यो 1 – 25 / 2016 (उ0शि0)..... 668 / बजट

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 03/11/2020

विषयः– राँची विश्वविद्यालय अंतर्गत तोरपा विधान सभा में डिग्री महाविद्यालय, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत बरही विधान सभा में डिग्री महाविद्यालय एवं बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत गोमिया विधान सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, गोमिया की स्थापना हेतु रू0 47,30,98,800/– (सैंतालीस करोड़ तीस लाख अनठानवे हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2020–21 में क्रमशः तृतीय एवं द्वितीय किस्त के रूप में कुल रू0 10,72,00,000/– (दस करोड़ बहत्तर लाख) रूपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

Expedite
17.11.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 650/बजट दिनांक 12.10.2020 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में राँची विश्वविद्यालय अंतर्गत तोरपा विधान सभा में डिग्री महाविद्यालय, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत बरही विधान सभा में डिग्री महाविद्यालय एवं बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत गोमिया विधान सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, गोमिया की स्थापना हेतु रू0 47,30,98,800/– (सैंतालीस करोड़ तीस लाख अनठानवे हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2020–21 में क्रमशः तृतीय एवं द्वितीय किस्त के रूप में कुल रू0 10,72,00,000/– (दस करोड़ बहत्तर लाख) रूपये मात्र के भुगतान हेतु निम्नवत् आवंटन प्रदान की जाती है–

क0	स्थान का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	प्रशासनिक रूप से स्वीकृत राशि	एकरारनामा एवं उसपर 7% consultancy charge की कुल राशि	अबतक विमुक्त की गयी राशि	वर्ष 20–21 में विमुक्त की जाने वाली राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डिग्री महाविद्यालय, तोरपा	राँची विश्वविद्यालय, राँची	15,76,99,600/–	15,72,78,230/–	11,00,00,000/–	4,72,78,230/–	शून्य
2	डिग्री महाविद्यालय, बरही	विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	15,76,99,600/–	13,59,43,500/–	3,00,00,000/–	3,00,00,000/–	7,59,43,500/–
3	डिग्री महाविद्यालय, गोमिया	बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद	15,76,99,600/–	13,59,43,500/–	3,00,00,000/–	3,00,00,000/–	7,59,43,500/–
		कुल योग –	47,30,98,800/–	42,91,65,230/–	17,00,00,000/–	10,72,78,230/–	15,18,87,000/–

2. उपर्युक्त सारणी के कमांक–1 में स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य स्कीम बजट के मुख्य शीर्ष–2202, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–BA- नये विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड–21S220203796BA0678 (स्कीम कोड–1633) के अंतर्गत होगा तथा

उपर्युक्त सारणी के कमांक–2 एवं 3 में स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य स्कीम बजट के मुख्य शीर्ष–2202, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष–BA- नये विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड–21S220203102BA0678 (स्कीम कोड–1633) के अंतर्गत होगा

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं [illegible] बैंक खाता को खाता के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता

F-816
18/11/2020

4. संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा योजना--सह--वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता--2016 के नियम-- 339--344 के तहत संबंधित कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या--8448 से राशि की निकासी कर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. राशि के व्यय में मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 650/बजट दिनांक 12.10.2020 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र श्री दिगेश्वर तिवारी, अपर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/--
(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक--1/यो.1--25/2016 (उ0शि0)..... /राँची, दिनांक-- ..... /2020

प्रतिलिपि --कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हजारीबाग/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/--
(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक--1/यो.1--25/2016 (उ0शि0) 668/एच/राँची, दिनांक-- 03/11/2020

प्रतिलिपि --विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/ विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग / बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद /अवर सचिव--सह--निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा श्री प्रियरंजन, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा--सह--नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

JTC Form-4

[See Rule 45]

(Obverse)

Challan No.: ..... **Treasury.:** **Ranchi**

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

Challan of cash into the State Bank of India at ..... BT No. 32 22/12/2020

To be filled by the Remitter				To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered		Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name	.....	DR.MUKUND CHANDRA MEHTA (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	CONSTRUCTION WORK MODEL DEGREE COLLEGE AT BANO	47278230	8448001201501020 2-Dearness Allowance	Mukund Chandra Mehta 22.12.2020 Signature and full designation of the officer receiving the money to be paid in. Registrar Ranchi University, Ranchi
Sign	.....					
*(in words)Rupees Four Crore Seventy Two Lacs Seventy Eight Thousand Two Hundred Thirty /- Only				*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment 23/12/2020 ..... **Date** .....

Treasurer **Accountant** 23/12/20 **Treasury Officer**

Agent or Manager

Note 1:In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2:Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3:In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

पत्रांक :–3 / यो.1–01 / 2016 (उ0शि0).....592..... / ग्जट

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

Sri U.K. Verma

12/9/20

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 19/08/2020

विषयः– **रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत रॉची महिला महाविद्यालय के आधारभूत संरचना का विकास मद में Cafeteria Block & Other additions to Arts and Science Block के निर्माण हेतु रू0 7,30,55,000/– (सात करोड़ तीस लाख पचपन हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 4,00,00,000/– (चार करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 585/बजट दिनांक 13.08.2020 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020–21 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत रॉची महिला महाविद्यालय के आधारभूत संरचना का विकास मद में Cafeteria Block & Other additions to Arts and Science Block के निर्माण हेतु रू0 7,30,55,000/– (सात करोड़ तीस लाख पचपन हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 4,00,00,000/– (चार करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–B5– विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड–21S220203796B50678) (स्कीम कोड–1628) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 मे जमा करायेंगे।

4. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत रॉची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पी0 एल0 खाता में राशि का अंतरण एक सप्ताह के अंदर कर दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. राशि के व्यय में मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जायेगा।

A-847
2/9/20

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 585/बजट दिनांक 13.08.2020 की अन्य शर्त्तों का अनुपा सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र श्री दिगेश्वर तिवारी, अपर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/यो.1–01/2016 (उ0शि0) 592/ग्रा/ रॉची, दिनांक– 19/08/ /2020

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/यो.1–01/2016 (उ0शि0) 592/ग्रा/ रॉची, दिनांक– 19/08/ /2020

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा श्री प्रियरंजन, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/8/20

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher,Technical Education and Skill Development Department (Higher Edu

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

दिनांक - 19-Aug-2020

पत्र संख्या - 3/YO.1-01/2016/592/BUDGET

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान **State Scheme** State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT(1628) Centeral Scheme : NA	37537	DRNEDN046 SRI DHARMRAJ MAHTO UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	40,000,000.00 रुपये चार करोड
				40,000,000.00

योग: रुपये चार करोड

क्रमिक योग:

(JITENDRA KUMAR SINGH)

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION

Run Date: 19/8/2020

KUBER™ BILL for Treasury Advice(GOJ)

JTC Form-4

[See Rule 45]

(Obverse)

Challan No.: ..... **Treasury.:** **Ranchi**

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

Challan of cash into the State Bank of India at .....

To be filled by the Remitter				To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered		**Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid**	**Full particulars of the remittance and of Authority (if any)**	**Amounts**	**Head of Account**	**Order of the Bank**
Name	.....	DR.AMAR KUMAR CHOUDHARY (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	CONSTRUCTION WORK OF RWC RANCHI	40000000	844800120150102 02-Dearness Allowance	Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in
Sign	.....					
***(in words)Rupees** Four Crore/- Only				*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment ..... **Date** .....

Treasurer **Accountant** **Treasury Officer**

Agent or Manager

Note 1:In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2:Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3:In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

Sri N.K. Verma

पत्रांक :–3/यो.1–10/2016 (उ0शि0) 44/कार्य

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 28/01/2021

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी0 एस0 कॉलेज, लोहरदगा एवं सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा में निर्माणाधीन बहुद्देशीय परीक्षा भवनों के निर्माण हेतु रू0 19,48,90,000/– (उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू0 12,00,00,000/– (बारह करोड़रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 16/बजट दिनांक 19.01.2021 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020–21 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी0 एस0 कॉलेज, लोहरदगा एवं सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा में निर्माणाधीन बहुद्देशीय परीक्षा भवनों के निर्माण हेतु रू0 19,48,90,000/– (उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू0 12,00,00,000/– (बारह करोड़रूपये) मात्र के भुगतान हेतु निम्नवत् आवंटन प्रदान की जाती है–

क0	स्थान का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	अबतक विमुक्त की गयी राशि	वर्ष 20–21 में विमुक्त की जाने वाली राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बी0 एस0 कॉलेज लोहरदगा	9,74,45,000/–	9,56,16,000/–	3,00,00,000/–	6,00,00,000/–	56,16,000/–
2	सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा	9,74,45,000/–	10,02,70,000/–	3,00,00,000/–	6,00,00,000/–	1,02,70,000/–

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य स्कीम बजट के " मुख्य शीर्ष–2202, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड–21S220203796B50678 (स्कीम कोड–1628) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी0 एल0 खाता में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अकेक्षण का अधिकार होगा।

7. राशि के व्यय में मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 16/बजट दिनांक 19.01.2021 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर श्री बिन्दु माधव प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/यो.1–10/2016 (उ0शि0) 441/बजट /रॉची, दिनांक– 28/01/2021

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/यो.1–10/2016 (उ0शि0) 441/बजट /रॉची, दिनांक– 28/01/2021

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक,झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा श्री प्रियरंजन, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher,Technical Education and Skill Development Department (Higher Edu

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO.1-10/2016/44/BUDGET

दिनांक - 28-Jan-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान **State Scheme** State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT(1628) Centeral Scheme :	69997	DRNEDN046 SRI AJAY KUMAR SINGH UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	120,000,000.00 रुपये बारह करोड

120,000,000.00

योग:

रुपये बारह करोड

क्रमिक योग:

(A. MUTHUKUMAR)

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION

49.37.82.91

Run Date: 28/1/2021

पत्रांक :–5 / यो.1–02 / 2015 (उ0शि0)....592..... / ...

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

Sri U.K. Verma

12/9/2020

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 19/08/2020

विषयः– **रॉची विश्वविद्यालय, रॉची में Archaeological Centre की स्थापना के लिए रू0 1,92,15,000/– (एक करोड़ बेरानवे लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 20,53,204/– (बीस लाख तिरपन हजार दो सौ चार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 584/बजट दिनांक 13.08.2020 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020–21 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची में Archaeological Centre की स्थापना के लिए रू0 1,92,15,000/– (एक करोड़ बेरानवे लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 20,53,204/– (बीस लाख तिरपन हजार दो सौ चार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष B5 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड–21S220203796B50678) (स्कीम कोड–1628) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

4. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत रॉची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पी0 एल0 खाता में राशि का अंतरण एक सप्ताह के अंदर कर दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. राशि के व्यय में मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जायेगा।

R-546
21/9/20

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 584/बजट दिनांक 13.08.2020 की अन्य शर्त्तों का सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र श्री दिगेश्वर तिवारी, अपर सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–5/यो.1–02/2015 (उ0शि0) 592/वि.वि./ रॉची, दिनांक– 19/08/ /2020

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–5/यो.1–02/2015 (उ0शि0) 592/वि.वि./ रॉची, दिनांक– 19/08/ /2020

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा श्री प्रियरंजन, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/8/20

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher,Technical Education and Skill Development Department (Higher Edu

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 5/YO.1-02/2015/593/BUDGET

दिनांक - 19-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान **State Scheme**	37535	DRNEDN046 SRI DHARMRAJ MAHTO UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	2,053,204.00 रुपये बीस लाख तीरपन हजार दो सौ चार

State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT(1628)

Centeral Scheme : NA

योग: 2,053,204.00

क्रमिक योग: रुपये बीस लाख तीरपन हजार दो सौ चार

(JITENDRA KUMAR SINGH)

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION

125.22.1111

Run Date: 19/8/2020

JTC Form-4

[See Rule 45]

(Obverse)

Challan No.: ..... **Treasury.:** **Ranchi**

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

Challan of cash into the State Bank of India at .....

To be filled by the Remitter				To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered		Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name	.....	DR.MUKUND CHANDRA MEHTA (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	CONSTRUCTION OF ARCHAEOLOGICAL CENTRE	2053204	844800120150102 02-Dearness Allowance	Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in
Sign	.....					
*(in words)Rupees Twenty Lacs Fifty Three Thousand Two Hundred Four/- Only				*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment ..... **Date** .....

Treasurer **Accountant** **Treasury Officer**

Agent or Manager

Note 1:In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2:Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3:In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

पत्रांक :–3/यो.1–10/2016 (उ0शि0) 441/कब्ज

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 28/01/2021

विषय:– वित्तीय वर्ष 2020–21 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी0 एस0 कॉलेज, लोहरदगा एवं सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा में निर्माणाधीन बहुद्देशीय परीक्षा भवनों के निर्माण हेतु रू0 19,48,90,000/– (उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू0 12,00,00,000/– (बारह करोड़रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 16/बजट दिनांक 19.01.2021 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020–21 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी0 एस0 कॉलेज, लोहरदगा एवं सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा में निर्माणाधीन बहुद्देशीय परीक्षा भवनों के निर्माण हेतु रू0 19,48,90,000/– (उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू0 12,00,00,000/– (बारह करोड़रूपये) मात्र के भुगतान हेतु निम्नवत् आवंटन प्रदान की जाती है–

क्र0	स्थान का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	अबतक विमुक्त की गयी राशि	वर्ष 20–21 में विमुक्त की जाने वाली राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बी0 एस0 कॉलेज लोहरदगा	9,74,45,000/–	9,56,16,000/–	3,00,00,000/–	6,00,00,000/–	56,16,000/–
2	सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा	9,74,45,000/–	10,02,70,000/–	3,00,00,000/–	6,00,00,000/–	1,02,70,000/–

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य स्कीम बजट के " मुख्य शीर्ष–2202, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड–21S220203796B50678 (स्कीम कोड–1628) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी0 एल0 खाता में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. राशि के व्यय में मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 16/बजट दिनांक 19.01.2021 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर श्री बिन्दु माधव प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/यो.1–10/2016 (उ0शि0) 441905/रॉची, दिनांक– 28/01/2021

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/यो.1–10/2016 (उ0शि0) 441905/रॉची, दिनांक– 28/01/2021

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक,झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा श्री प्रियरंजन, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher,Technical Education and Skill Development Department (Higher Edu

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO.1-10/2016/44/BUDGET

दिनांक - 28-Jan-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान **State Scheme** State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE Centeral Scheme : DEVELOPMENT(1628)	69997	DRNEDN046 SRI AJAY KUMAR SINGH UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	120,000,000.00 रुपये बारह करोड
				120,000,000.00

योग:

क्रमिक योग: रुपये बारह करोड

(A. MUTHUKUMAR)

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION

49,37,82,91

Run Date: 28/1/2021

Sri U.K. Verma

2/3/2021

पत्रांक :–1/यो.1–25/2016 (उ0शि0) 42/एम0

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 28/01/2021

विषयः– राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत खिजरी विधानसभाक्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/– (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2020–21 में द्वितीय किस्त के रूप में रू0 6,00,00,000/– (छः करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

c.c.D.e./F.O.
5.2.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 14/बजट दिनांक 19.01.2021 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत खिजरी विधानसभाक्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/– (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2020–21 में द्वितीय किस्त के रूप में रू0 6,00,00,000/– (छः करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु निम्नवत् आवंटन प्रदान की जाती है–

क0	विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	पूर्व में विमुक्त राशि	वर्ष 20–21 में विमुक्त की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राँची विश्वविद्यालय	डिग्री कॉलेज, खिजरी	15,76,99,600/–	12,70,50,000/–	3,00,00,000/–	6,00,00,000/–

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–BA– नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड–21S220203796BA0678) (स्कीम कोड–1633) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. राशि के व्यय में मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

F.O.
0359/2021

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 14/बजट दिनांक 19.01.2021 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर श्री बिन्दु माधव प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–1/यो.1–25/2016 (उ0शि0) 42/बजट/रॉची, दिनांक– 28/01/2021

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–1/यो.1–25/2016 (उ0शि0) 42/बजट/रॉची, दिनांक– 28/01/2021

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक,झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा श्री प्रियरंजन, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher,Technical Education and Skill Development Department (Higher Edu

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 1/YO.1-25/2016/42/BUDGET दिनांक - 28-Jan-2021

क्रमांक	विभाग कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796BA0678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना BA - नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान **State Scheme**	70002	DRNEDN046 SRI AJAY KUMAR SINGH UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	60,000,000.00 रुपये छः करोड

State Scheme : GRANT IN AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF NEW COLLEGES AND
Centeral Scheme : UNIVERSITIES(1633)

योग 60,000,000.00

क्रमिक योग: रुपये छः करोड

(A. MUTHUKUMAR)

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION

Run Date: 28/1/2021

पत्रांक :–5/यो01–45/2015 (उ0शि0) ...../

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक ...../

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत लोहरदगा जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 9,18,31,000/– (नौ करोड़ अठ्ठारह लाख एकतीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध तृतीय किस्त के रूप में रू0 2,60,00,000/– (दो करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 69/बजट दिनांक 10.02.2021 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के वित्तीय वर्ष 2020–21 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत लोहरदगा जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 9,18,31,000/– (नौ करोड़ अठ्ठारह लाख एकतीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध तृतीय किस्त के रूप में रू0 2,60,00,000/– (दो करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र के भुगतान हेतु निम्नवत् आवंटन प्रदान की जाती है–

क्र0	स्थान का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा एवं 7% एजेन्सी चार्ज की राशि	अबतक विमुक्त की गयी राशि	वर्ष 20–21 में विमुक्त की जाने वाली राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	महिला महाविद्यालय, लोहरदगा	9,18,31,000/–	9,00,15,890/–	6,40,00,000/–	2,60,00,000/–	15890/–

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्य शीर्ष–2202, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड–21S220203796BA0678 (स्कीम कोड–1633)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. राशि के व्यय में मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 69/बजट दिनांक 10.02.2021 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर श्री बिन्दु माधव प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–5/यो01–45/2015 (उ0शि0) ...../रॉची, दिनांक– ...../2021

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–5/यो01–45/2015 (उ0शि0) 87/बजट/रॉची, दिनांक– 22/02/2021

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक,झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा श्री प्रियरंजन, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/2

(ए0 मुथुकुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।